प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 16 जून, 2015

विषय- जिला कारागार, फैजाबाद के प्रशासनिक भवन/हाल की मरम्मत तथा द्वितीय द्वार व शौचालय का निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34795/नम-3, दिनांक- 21 नवम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, फैजाबाद के प्रशासनिक भवन/हाल की मरम्मत तथा द्वितीय द्वार व शौचालय के निर्माण हेतु उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उक्त कार्य की रू0 61.91 लाख की लागत पर पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु कुल रू0 31,00,000/-(रूपया इकतीस लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(4) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2015 तक कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त- पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-03-कारागरों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- कार्य पूर्ण होने पर कार्य के संपरीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-213/2015, दिनांक-30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 127/2015/1454(1)/22-4-14-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, फैजाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।